न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के. सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या- 66/2024
सी.आई.एस नंबर- 264/2024

1. संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री के०सी० खण्डेलवाल निवासी ए-अशोक विहार, फ्लैट सं० **306**, तिजारा रोड़, अलवर

.....निगरानीकार/परिवादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अलवर
2. त्रिलोक सैनी उर्फ सोनू पुत्र भगवती प्रसाद, निवासी मकान नं० **150**, लिसौड़ा वाला कुंआ, शिवजी के मंदिर के सामने वाली गली, अलवर

.....गैर निगरानीकार

''दांडिक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांकित 05-07-2024 जो कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा प्रकरण परिवादी संजय खण्डेलवाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 27/26/24 में पारित किया गया''

उपस्थितिः-

1.श्री हेमराज गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2.श्री अजीत यादव, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश **दिनांकः-05.06.2026**

1. यह दांडिक निगरानी न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा प्रकरण **संजय खण्डेलवाल बनाम सरकार प्रकरण संख्या 27/26/24** में पारित आदेश दिनांकित **05-07-2024** के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय

अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालातंर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. परिवादी संजय ने एक परिवाद दिनांक **07-10-2023** को न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी तिजारा रोड़, अलवर का रहने वाला है तथा अभियुक्त त्रिलोक सैनी से उसकी जान- पहचान है। अभियुक्त ने परिवादी से रकम उधार मांगी, जिस पर परिवादी ने दिनांक **21-08-2020** को जरिये चैक नंबर **042027** यूनियन बैंक का एक लाख रूपए का चैक नंबर **042027** यूनियन बैंक का एक लाख रूपए का चैक दिया तथा थोड़े दिन बाद दिनांक **10-09-2020** को जरिये चैक नंबर **042031** एक लाख रूपए का चैक दिया। इस प्रकार परिवादी द्वारा दो बार में दो लाख रूपए की राशि अदा कर दी।

3. परिवादी ने उक्त रकम बाद में त्रिलोक से बार-बार मांगी, परंतु उसने रकम नहीं दी और बाद में दिनांक **15-09-2023** को दो लाख रूपए का एक चैक परिवादी को दिया, जिसको जानबूझकर ऑवर राइटिंग कर के दिया, जिस कारण चैक से भी रकम का भुगतान नहीं हो सका और इस प्रकार अभियुक्त ने जानबूझकर फर्जकारी करते हुए चैक पर ऑवर राइटिंग की और रकम का भुगतान भी नहीं किया और परिवादी की रकम को छल व कपट से हड़प लिया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

4. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा नंबर **1061/2023** थाना कोतवाली, अलवर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने दिनांक **18-12-2023** को सिविल नेचर में एफआर पेश की, जिस पर परिवादी ने दिनांक **27-02-2024** को प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की तथा अंतर्गत धारा **200** में स्वयं परिवादी ने अपनी साक्ष्य लेखबद्ध करवायी। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी की प्रोटेस्ट पिटिशन खारिज की गयी, जिससे व्यथित होकर परिवादी ने निगरानी पेश की।

5. परिवादी निगरानीकार के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क किया कि पुलिस के द्वारा गलत तरिके से अनुसंधान किया गया है और गलत तरीके से एफआर पेश की है। परिवादी के द्वारा जरिये चैक अभियुक्त को रकम उधार दी गयी थी और अभियुक्त ने उक्त रकम का भुगतान नहीं किया और जानबूझकर फर्जकारी की और छल कपट भी किया। अतः विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए और अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाए।

6. अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया ।

7. बहस सुनने एवं पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि परिवादी के द्वारा रकम के लेनदेन के

बाबत परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा सिविल नेचर में एफआर पेश की गयी, जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश करते हुए अंतर्गत धारा **200** में स्वयं की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद में कहे कथनों की पुष्टि नहीं, कथन करता है और उल्लेख करता है कि उसके द्वारा अभियुक्त को दो लाख रूपए का भुगतान किया गया था और उक्त रकम अभियुक्त ने नहीं लौटायी, परंतु इस संबंध में चैक भी दिया, जो ऑवर राइटिंग कर के दिया था और फर्जकारी की गयी थी।

8. इस प्रकार परिवादी ने अभियुक्त को रकम देने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है कि परिवादी ने अभियुक्त को **2020** में रकम उधार दी, परंतु उक्त रकम कितने समय के लिए उधार दी, इस संबंध में कोई कथन परिवादी ने नहीं किया है, पर यदि अभियुक्त ने रकम का भुगतान **3** वर्षों में नहीं किया था तो परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध रकम वसूली का सिविल दावा कर सकता था, परंतु परिवादी के द्वारा रकम वसूली का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. इसके अतिरिक्त **3** वर्षों बाद अभियुक्त ने दिनांक **15-09-2023** को परिवादी को रकम के भगुतान के बाबत चैक दिया था और यदि चैक पर ऑवर राइटिंग थी तो भी परिवादी उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत कर के उसे अनादृत करवा सकता था, परंतु परिवादी ने उक्त चैक को अनादृत क्यों नहीं करवाया और धारा **138** एनआई एक्त के तहत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? इसका भी कोई उचित कारण नहीं दिया गया और लगभग **4** वर्षों बाद जो एफआईआर प्रस्तुत की गयी है, वह एक धन के लेनदेन को आपराधिक रंग देकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से उचित है और उसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं पायी जाती है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है और निगरानी खारिज की जाती है।

10. ऐसी दशा में निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी समुचित आधार पर प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश **दिनांकित** **05-07-2024** में कोई अवैधता, त्रुटि, अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होने से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाने योग्य है।

आदेश

11. अतः **निगरानीकार** की ओर से प्रस्तुत निगरानी **अस्वीकार कर खारिज** की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश **दिनांकित 05-07-2024** में कोई अवैधता, अनियमितता अथवा त्रुटि प्रकट नहीं होने से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश **दिनांकित 05-07-2024** पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर

12. आदेश आज दिनांक 05-06-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर